न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–44/2024

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
विजय कुमार पुत्र बुधाराम निवासी सांजू तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक –28.04.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि डेगाना तहसील क्षेत्र के डॉ. निकिता राठौड, जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.09.2024 को अम्बेडकर चौक सांजू स्थित श्री विजयकुमार की किराणा की दूकान पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री विजय कुमार उपस्थित मिलें, जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 11 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर पाये गये। श्री विजयकुमार ने बताया कि वह एचपी एवं इण्डेन गैस के घरेलू गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को विक्रय करने हेतु रखता है। श्री विजयकुमार से घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण एवं विक्रय से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री विजयकुमार द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक छस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 11 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	800536-S	–
2	एचपीसीएल	927423	–
3	एचपीसीएल	793215-T	–
4	इण्डेन गैस	461612-S	–
5	इण्डेन गैस	338551-B	–
6	इण्डेन गैस	624298-P	–
7	इण्डेन गैस	521296	–
8	इण्डेन गैस	730140-B	14.2 किग्रा
9	इण्डेन गैस	78608-T	–
10	इण्डेन गैस	026311-U	–
11	इण्डेन गैस	70306-P	–

28/4/25

अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स भाग्य श्री एचपी गैस छोटीखाटू के प्रतिनिधि श्री सोमानी की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री विजयकुमार का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। डॉ. निकिता राठौड, जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री विजयकुमार से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 11 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 11 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

3. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर